न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 40/2022 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2022/46)

पन्नाराम पुत्र पतराम जाति लुहार साकिन परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

अपीलान्ट

बनाम

1. ग्राम सरपंच, ग्राम पंचायत परलीका तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. राजस्थान सरकार

रेस्पोडेंट्स

उपस्थितः 1. श्री विजय कुमार पारीक – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 18–10–2022**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 23.05.2022 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नोहर ने अपने पत्र दिनांक 02.03.2022 द्वारा तहसील नोहर की पटवार मण्डल परलीका – बी के ग्राम/चक 12 बारानी के पं. नं. 350/440 (97) के किला नं. 15/0.2530, 16/1 की 0.127 हैक्टेयर की कुल 0.3800 हैक्टेयर भूमि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ (हाडडा रोडी) ग्राम पंचायत परलीका हेतु आवटन/आरक्षण करने के प्रस्ताव जिला कलक्टर हनुमानगढ को प्रेषित किये। जिस पर जिला कलक्टर हनुमानगढ द्वारा अपने आदेश दिनांक 23.05.2022 द्वारा उक्त भूमि पर सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि ग्राम पंचायत परलीका को ''हड्डारोड़ी'' हेतु आरक्षित करने के आदेश दिये। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट सं. 1 को जरिये रजिस्ट्र्ड नोटिस सूचित किये जाने के बावजूद उपस्थित नही आये। इनके विरूद्ध एक तरफा (Ex party) कार्यवाही अमल में लाई गई।

अति.संभागीय आयुक्त
बीकानेर

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि अपीलान्ट की भूमि पत्थर नं. 350/440 कि किला नं. 15, 16 व 25 चक 12 बारानी में गैर खातदारी स्थित है। इस ग्राम में कुल करीब 6 बीधा भूमि है। भूमि पर कब्जा काश्त अपीलान्ट का है। अधीनस्थ न्यायालय ने बिना रिकॉर्ड का अवलोकन किए व अपीलान्ट को बिना सुने उसकी जीवन निर्वाह की एकमात्र भूमि हाडारोडी के लिए गलत रिपोर्ट के आधार पर आरक्षित व आंवटित कर दी गई। हाडारोडी हेतु आरक्षित भूमि नियम विरूद्व आरक्षित की गई है, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 92 में सरकार की अनुमति लेकर आरक्षित या सिवायचक भूमि को ली जा सकती है, परन्तु उक्त आदेश अपीलान्ट की भूमि पर आदेश पारित किये गये है। इस भूमि पर अपीलान्ट की ढाणी बनी हुई है तथा आस पडौस छोटे स्थान भी बने हुए है। अपीलान्ट एक गरीब 95 वर्ष का लुहार जाति का व्यक्ति है जीवन निर्वाह का एकमात्र साधन यही भूमि है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अपीलाधीन आदेश दिनांक 23.05.2022 निरस्त किया जावे। अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956की धारा 92 तथा RRD 2012 पेज 386, का न्यायिक दृष्टांत पेश किया।

5. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय सही पारित किया गया है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। प्रस्तुत अपील जिला कलक्टर हनुमानगढ के आदेश दिनांक 23.05.2022 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है जिसके द्वारा चक 12 बारानी पटवार मण्डल परलीका बी के पत्थर नं. 350/440 के किला नं. 15,16 की 0.3800 हैक्टेयर भूमि हड्डारोड़ी हेतु आरक्षित किया गया है, के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट का कथन है कि यह भूमि गैर खातेदारी है तथा जिला कलक्टर हनुमानगढ को हड्डारोड़ी हेतु आरक्षित के अधिकार नही है। अपने कथन के समर्थन में राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

1956 की धारा 92 एवं राजस्व विभाग की अधिसूचना (Notification No. F. 6(49) Rev./ Gr. IV/76 S.O. 215, September 1, 1976, published in Rajasthan Gazette (Ga) (II) dated 9.9.76, page 168.) दिनांक 01.09.1976 की ओर आकर्षित करते हुए निवेदन किया सार्वजनिक प्रयोजनार्थ भूमि का आरक्षित करने से पूर्व राज्य सरकार से पूर्वानुमति ली जानी चाहिए जो कि प्रस्तुत प्रकरण में नही ली गई। उक्त दोनो बिन्दुओ के संदर्भ मे पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि मुताबिक जमाबन्दी सम्वत 2076 दिनाक 31 जनवरी 2022 को चक 12 बारानी के पत्थर नं. 350/440 किला नं. 15, 16 सार्वजनिक प्रयोजनार्थ हेतु आरक्षित है। जिससे स्पष्ट है कि भूमि अपीलान्ट की गैर खातेदारी भूमि नही है तथा अधिसूचना (Notifaication No. F. 6(49) Rev./Gr. IV/76, dated 8.8.78 published in Rajasthan Gazette part IV-C (II) dated 17-8-78, page 162) दिनांक 01.09.1976 को राजस्व विभाग की अधिसूचना सं. 8.8.78 से वापिस ले ली गई है। ऐसी स्थिति में पूर्व अधिसूचना 01.09.1976 प्रभावहीन हो चुकी है। इस प्रकार अपीलान्ट की अपील सारहीन है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

7. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 18.10.2022 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर